प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर एवं झांसी उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / एच0डी0यू0 आई0सी0यू0 / 144 / 2018–19/6419-6 दिनांक 13.09.2018

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में मेडिकल कॉलेजों के प्रसूति रोग विभाग हेतु एच0डी0यू0 तथा आई0सी0यू0 स्थापित एवं संचालन करने के लिये धनराशि का आबंटन एवं दिशा–निर्देश।

प्रदेश के सभी जनपदों की इकाइयों से गर्भवती महिलाओं के कॉम्पलिकेड केस मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में संदर्भित किये जाते है। इन मेडिकल कॉलेजों में इन महिलाओं की जटिलताओं को देखते हुये एवं मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से एच0डी0यू0 तथा आई0सी0यू0 की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वर्ष 2018–19 में एच0डी0यू0 आई0सी0यू0 की पृथक से व्यवस्था की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की राज्य कार्ययोजना में प्रदेश के छः मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एच0डी0यू0 तथा आई0सी0यू0 की स्थापना एवं संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में निम्नतालिकानुसार धनराशि रू0–9,70,52,200/–(रू0 नौ करोड़ सत्तर लाख बावन हजार दो सौ मात्र) स्वीकृत दी गयी है, जिसमें मानव संसाधन, उपकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0 आर0 संख्या	जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1.	एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों का मानदेय (छः माह हेतु) (28 चिकित्साधिकारियों हेतु रू0 60,000 प्रति माह की दर से)	8.1.10.2	रू0 10,080,000
2.	स्टाफ नर्स का मानदेय (छः माह हेतु) (132 स्टाफ नर्स हेतु रू0 30,000 प्रति माह की दर से)	8.1.10.3	रू0 2,37,60,000
3.	एम एण्ड ई ऑफिसर का मानदेय (छः माह हेतु) (7 एम एण्ड ई ऑफिसर रू0 16,600 प्रति माह की दर से)	16.8.1.3.6	रू0 6,97,200
4.	प्रसूति रोग विभाग में एच0डी0यू0 तथा आई0सी0यू0 के उपकरण हेतु	6.1.1.1.सी	रू0 5,05,15,000
5.	प्रसूति रोग विभाग में एच0डी0यू0 तथा आई0सी0यू0 का रिनोवेशन एवं अपग्रेडसन हेतु	5.1.1.2.के	रू0 1,20,00,000
	जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि		रू0 97,052,200

एच0डी0यू0 आई0सी0यू0 की व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित विस्तृत तकनीकी दिशा–निर्देश संलग्न है।

वित्तीय व्यवस्था –

- **धनराशि की व्यवस्था** के0जी0एम0यू0 **लखनऊ**, मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद, बी0आर0डी0, गोरखपुर, ए0एम0यू0, अलीगढ़, जी0एस0वी0एम0, कानपुर एवं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी हेतु की गयी है।
- समस्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति जनपद लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर एवं झांसी को एफ0एम0आर0 कोड 8.1.10.2, 8.1.10.3, 16.8.1.3.6, 6.1.1 1.सी एवं 5.1.1.2.के में उपलब्ध कराई जायेगी तदोपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मेडिकल कॉलेजों को अग्रिम के रूप में धनराशि हस्तांतरित की जायेगी।
- प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सी0ए0 के द्वारा दी गई ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- आवंटित अग्रिम धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों के0जी0एम0यू0 अपने स्तर पर सुरक्षित रखे एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट ऑडिटर, स्टेटच्यूरी ऑडिटर, महालेखाकार की ऑडिटर एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- अग्रिम धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बंधित मेडिकल कॉलेजों विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/एच0डी0यू0 आई0सी0यू0/144/2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके स्तर से पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करने के अनुरोध के साथ।
3 सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
6 सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7 वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8 समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
9 महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10 सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।
11 सम्बन्धित वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
12 सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
13 गार्ड फाईल

(डॉ0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक,मातृस्वा0

Obstetric ICUs/ HDUs (as per operational guidelines of ICUs and HDUs2017)

Sl No	FMR code	Budget Head	Number	Rate (Per month Salary)	KGMU Lucknow 8 bedded HDU	KGMU Lucknow 4 Bedded ICU	Motilal Nehru Allahabad 8 bedded HDU	BRD Gorakhpur 8 bedded HDU	AMU Aligarh 8 bedded HDU	GSVM Kanpur 8 bedded HDU	Rani Laxmi Bai M.C. Jhansi 8 bedded HDU	Total cost
1		**Annual HR cost**										-
1.1	8.1.10.2	Medical Officers	4	60000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	10,080,000
1.2	8.1.10.3	Staff Nurses	20 & 12	30000	3,600,000	2,160,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	23,760,000
1.3	16.8.1.3.6	M&E Officers	1	16600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	697,200
2	6.1.1.1.c	Equipment for Obstetric ICUs/ HDUs			6,048,000	6,477,000	7,598,000	7,598,000	7,598,000	7,598,000	7,598,000	50,515,000
3	5.1.1.2.k	Upgradation/ Renovation of Obstetric ICUs/ HDUs			1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000
		Total			**12,187,600**	**11,176,600**	**14,737,600**	**14,737,600**	**14,737,600**	**14,737,600**	**14,737,600**	**97,052,200**

11/9/18

प्रभाकर तिवारी
परामर्शदाता–वित्त
(मातृ–स्वास्थ्य)
एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०,